विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम गुरूवार के लिये निर्धारित श्री हंसराज विश्वकर्मा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-18 का उत्तरः-

प्रश्न	उत्तर
18(क) क्या महिला कल्याण मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में विधवा महिलाओं के लिए महिला कल्याण विभाग की कौन-कौन सी कल्याणकारी योजनायें चल रही है?	जी हाँ। 1- महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित पात्र महिलाओं को पेंशन योजना के अन्तर्गत रू0 1000 प्रतिमाह प्रदान किये जाते हैं। 2- निराश्रित महिला पेंशन पा रही महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता अनुदान योजना के अन्तर्गत रू0 10,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। 3- पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला से पुनर्विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार योजना के अन्तर्गत रू0 11,000 की धनराशि प्रदान की जाती है।
(ख) भविष्य में प्रदेश की विधवा महिलाओं को और अधिक सुविधायें तथा सरकारी सहायता पहुॅचाने के लिए क्या उक्त विभाग कोई कार्य योजना बनायेगा?	प्रश्नगत बिन्दु नीतिगत है। प्रदेश सरकार निराश्रित महिलाओं को और अधिक सुविधायें तथा सरकारी सहायता हेतु अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर यथा समय विचार करेगी।
(ग) यदि हाँ, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	उपरोक्तानुसार।

बेबी रानी मौर्य
मंत्री।